क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एसपीएल–2,पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी–175/ दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोकसुनवाई के लिए आमसूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **मैसर्स श्री सुधा सागर मिनरल्स**, रेफरेंस संख्या 20211000042338 ग्राम बीजवाड द्वारा ग्रेनाईट एवं मैसनरी स्टोन खनिज क्लस्टर संख्या 41 खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र. स.	प्रोजेक्ट का नाम	रेफरेंस/खनन पटट्ा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	ग्राम	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता टीपीए (आर.ओ.एम.)
1	मैसर्स श्री सुधा सागर मिनरल्स खसरा संख्या 286 एवं 288	20211000042338	1.6782	बीजवाड	ग्रेनाईट	200000
2	श्रीमती सुमन भाम्बी	20201000028740	1.0435	बीजवाड	ग्रेनाईट	140000
3	श्री शंकरलाल जाट, श्री श्रवण लाल जाट, श्रीमती निर्मला देवी, श्रीमती प्रेम देवी	20201000017131	2.0812	बीजवाड	ग्रेनाईट	291312
4	श्री रघुवीर सिंह भाटी	20201000030315	1.4602	बीजवाड	ग्रेनाईट	154662
5	श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा	2019100008757	1.0569	बीजवाड	ग्रेनाईट	119148
6	श्रीमती बादाम देवी	21/2013	1.0	बीजवाड	ग्रेनाईट एवं मैसनरी स्टोन	105150

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 8.32 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–1010272 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम बीजवाड, तहसील देवली, जिला टोंक से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि **श्री सुधा सागर मिनरल्स, रेफरेंस संख्या 20211000042338 ग्राम बीजवाड** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।

3. उक्त समूह खनन परियोजनासे सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:–
    1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,टोंक।
    2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
    3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
    4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
    5. तहसील–देवली, जिला–टोंक।
    6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, बीजवाड़, तहसील देवली, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण/2022/3728 दिनांक 27.06.2022 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 29/07/2022 को दोपहर 01:30 बजे, स्थान–राजीव गांधी सेवा केन्द्र, बीजवाड़, तहसील देवली, जिला टोंक** में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षैत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ, जिला–अजमेर को भी दिये जा सकते है।

(दीपक तँवर)
पर्यावरणीय अभियंता
एवं क्षेत्रीय अधिकारी